रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225712
CG-DL-E-08032021-225712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2021/फाल्गुन 17, 1942
No. 4] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/PHALGUNA 17, 1942

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

का.नि.आ. 4(अ).— सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को प्राधिकृत किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए प्रयोजनों के लिए 'ई छावनी' परियोजना के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय को, स्वैच्छिक आधार पर, आधार प्रमाणीकरण निष्पादन हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है :

(i) ऑनलाइन लोक शिकायत को दूर करना ;

(ii) व्यापार अनुज्ञप्तियों का जारी किया जाना और नवीनीकरण ;

(iii) भवन निर्माण योजनाओं के आवेदनों पर कार्यवाही ;

(iv) रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अतिथि गृहों, सामुदायिक केन्द्रों और इसी तरह की संपत्तियों की बुकिंग ;

(v) रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए करों, फीस और इसी तरह की भारितों का ऑनलाइन भुगतान ;

(vi) पट्टा नवीनीकरण और विस्तार के लिए आवेदनों पर कार्यवाही ;

(vii) संपत्ति कर का निर्धारण

रक्षा संपदा महानिदेशालय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा ।

[फा.सं. डीपीआईटी/छावनी/2020/रक्षा (क्यूएंडसी)/ वॉल्यूम IV]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2021

S.R.O. 4(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (as amended) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Defence, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Directorate General of Defence Estates is allowed to perform Aadhaar authentication, on voluntary basis, for 'echhawani' project for the purposes given below:-

(i) Online Public Grievance Redressal;

(ii) Issue and renewals of Trade Licences;

(iii) Processing of applications of Building Plans;

(iv) Booking of guest houses, community centre and similar properties under the Directorate General of Defence Estates, Ministry of Defence;

(v) Online payment of taxes, fee and similar charges for various services falling under purview of the Directorate General of Defence Estates, Ministry of Defence;

(vi) Processing of applications for Lease renewal and extension;

(vii) Assessment of property tax.

The Directorate General of Defence Estates shall adhere to the guidelines with respect to use of Aadhaar authentication as laid down by the Central Government.

[F.No. DPIT/Cantonment/2020/D(Q&C) Vol. IV]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.08 19:57:52 +05'30'